भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2011

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

उद्यम सखी पहल के अंतर्गत कार्यक्रम

2011. श्री सतपाल ब्रह्मचारी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'उद्यम सखी' पहल के अंतर्गत महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए देश भर में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हरियाणा, विशेषकर सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 'उद्यम सखी' पहल के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं, स्वरोजगार शुरू करने वाले लाभार्थियों तथा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों की संख्या के संबंध में आंकड़े अद्यतन किए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि डिजिटल जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और मार्केट लिंकेज की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में इस पहल से उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल को मजबूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या सरकार सोनीपत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्र बनाने, क्रेडिट लिंक्ड योजना लागू करने या स्थानीय स्तर पर मदद देने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : उद्यम सखी पोर्टल को एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा और भावी महिला उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वित्तीय योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इस पोर्टल की शुरूआत से, देश में 4535 महिला उद्यमी पंजीकृत और लाभान्वित हो चुकी है।

एमएसएमई मंत्रालय ने राज्य सरकारों और एमएसएमई संघों के साथ समन्वय करके और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से महिला उद्यमियों की समावेशिता और उनके डिजिटल पंजीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, उद्यम/उद्यम असिस्ट पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम करीब 39 प्रतिशत हैं। सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा राज्य में उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या 5,11,608 है।

दिनांक 27.06.2024 को एमएसएमई मंत्रालय ने 'यशस्विनी अभियान' शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य औपचारिकीकरण, ऋण तक पहुंच, क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संपूर्ण देश की महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 (2018 में संशोधित) के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों द्वारा अनिवार्य वार्षिक खरीद के 25% में कम से कम 3% खरीद महिला उद्यमियों से की जानी चाहिए। एमएसएमई संबंध पोर्टल के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 6,105.71 करोड़ रुपए की खरीद की गई।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, पिछले 3 वर्षों में महिला उद्यमियों के लिए अनुमोदित गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:

सीजीएस- अनुमोदित- महिला उद्यमी		
वर्ष	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)**
वित्त वर्ष 2022-23	3,65,582	16,373
वित्त वर्ष 2023-24	4,25,865	32,223
वित्त वर्ष 2024-25	6,26,546	47,969
वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.12.2025 तक)	3,33,208	41,808

खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) के विभिन्न घटकों के तहत, अखिल भारत में लाभान्वित महिला एमएसई की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**लाभान्वित महिला एमएसई की संख्या**
1.	2023-24	3,818
2.	2024-25	3,538
3.	2025-26 (दिनांक 08.12.2025 तक)	2,870

पीएम विश्वकर्मा की शुरूआत दिनांक 17.09.2023 को 18 व्यापारों के कारीगरों और शिल्पकारों, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते है, को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। दिनांक 17.09.2023 को इस योजना की शुरूआत से दिनांक 09.12.2025 तक, देशभर में 10.8 लाख महिला लाभार्थियों सहित कुल 30 लाख कारीगर और शिल्पकारों का सफलतापूर्वक पंजीकरण हो चुका है।

******